मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
Magadh University, Bodhgaya

ज्ञापांक D.S.W/22/25

दिनांक 21.03.2025

स्मरण-पत्र

सेवा में,

प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य
सभी सम्बंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

विषयः– विभागीय संकल्प सं०1457 दिनांक 24.07.2015 के आलोक में नामांकन शुल्क के विरूद्ध क्षतिपूर्ती की राशि का व्यौरा उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भः– उच्च शिक्षा विभाग के पत्रांक 14/मु०7–189/2024–173 दिनांक 13.02.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि अध्यक्ष, छात्र कल्याण कार्यालय के पत्रांक D.S.W/17/25 दिनांक 25.02.2025 के द्वारा महाविद्यालयों से क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी विहित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय द्वारा मांगी गई थी। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि क्षतिपूर्ति राशि की जानकारी हेतु सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा बार–बार पत्र D.S.W कार्यालय को प्राप्त हो रहें है। किन्तु खेद है कि कुछ सम्बद्ध महाविद्यालयों से वांछित सूचना अब तक अप्राप्त है, जिसके कारण सचिव, शिक्षा विभाग को वांछित सूचना उपलब्ध कराने में विश्वविद्यालय को कठिनाई हो रही है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 26.03.2025 तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को निश्चित रूप से विहित प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध करा दे। अन्यथा विश्वविद्यालय वाध्य हो कर सम्बंधित कॉलेज के विरूद्ध आवश्यक कारवाई की जायेगी।

कृपया इसे सर्वोच्य प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
अध्यक्ष, छात्र कल्याण
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

नोटः– संलग्न पत्र के 03 से 08 तक अति महत्वपूर्ण हैं।

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. माननीय कुलपति के निजी सचिव, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
2. कुलसचिव के निजी सहायक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

21.03.25
अध्यक्ष, छात्र कल्याण
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

DSW/Naresh/022

Naresh Kr.
21/03/25

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक– 14 / मु07–189 / 2024 - 173

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

बैद्यनाथ यादव,
सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

कुलपति,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना दिनांक 13/02/2025

विषयः– विश्वविद्यालयों को विभागीय संकल्प के आलोक में नामांकन शुल्क के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय संकल्प संख्या–1457 दिनांक–24.07.2015

महाशय,

प्रसंगाधीन संकल्प के आलोक में विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों से अंकेक्षण कराकर भेजे गए मांग के आलोक में प्रतिपूर्ति / क्षतिपूर्ति विश्वविद्यालयों को पूर्व में विमुक्त किया गया है। संकल्प की कंडिका 02 के अनुसार क्षतिपूर्ति के संबंध में विभाग / सरकार द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण अलग से करना था। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा निम्न प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है :–

1. **"समर्थ"** ईआरपी लागू हो जाने के पश्चात् विश्वविद्यालयों में नामांकन की कार्रवाई समर्थ ईआरपी पोर्टल से ही किया जाएगा तथा नामांकन के समय विभिन्न मदों के विरूद्ध लिए जाने वाले शुल्क, या जो शुल्क नहीं लिए जाएंगे का अभिश्रव / पर्ची उक्त विवरणी के साथ जेनरेट होगा जो शुल्क की प्रतिपूर्ति / क्षतिपूर्ति का आधार होगा। इसी अभिश्रव के विरूद्ध छात्र शुल्क का भुगतान करेंगे एवं विभाग द्वारा इसे प्रतिपूर्ति का आधार बनाया जाएगा।
   विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों द्वारा जिन विद्यार्थियों से शुल्क नही लिया जा रहा है, उनके दावे का उल्लेख राशि प्रतिपूर्ति हेतु समर्थ पोर्टल पर किया जाएगा। **इस प्रकार समर्थ** पोर्टल द्वारा नामांकन के समय ऑटो जेनरेटेड बिल के आधार पर ही शुल्क प्रतिपूर्ति पर विचार किया जायेगा।
2. चूकि कैलेण्डर वर्ष 2024–25 समाप्ति की ओर है, वैसी स्थिति में इस कैलेण्डर वर्ष के लिए राशि की प्रतिपूर्ति मांग के अनुसार की जायेगी। परन्तु, भुगतान तभी किया जायेगा जब संबंधित विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर से नामांकन समर्थ पोर्टल के माध्यम से कर लिया जाय।
3. Admission Fee के विरूद्ध प्रतिपूर्ति से प्राप्त होनेवाली राशि का उपयोग संस्थान के प्रधान द्वारा दिनानुदिन व्ययों के लिए आवश्यकतानुसार / विवेकानुसार किया जा सकेगा। परन्तु Tuition Fee के विरूद्ध प्रतिपूर्ति से प्राप्त होनेवाली राशि का उपयोग महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक एवं आउटसोर्सिंग / संविदा के आधार पर नियुक्त होनेवाले शिक्षकेतर कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए किया जायेगा। शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में

अन्य सभी मदों में प्राप्त होनेवाली राशि का व्यय उसी मद में किया जा सकेगा, जिस मद में विद्यार्थियों से शुल्क की राशि ली गई हो।

4. राशि के व्यय में वित्तीय नियमावली का अक्षरसः पालन किया जायेगा।
5. राशि के व्यय का अंकेक्षण कराया जा सकेगा।
6. शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा नियंत्रित महाविद्यालयों में उक्त राशि के व्यय के लिए शासी निकाय/प्रबंध समिति की सहमति प्राप्त की जायेगी। राशि की प्रतिपूर्ति उन्हीं छात्र–छात्राओं के शुल्क के विरूद्ध की जायेगी, जिनकी उपस्थिति न्यूनतम 75% हो तथा इसके लिए संस्थान के प्रधान द्वारा शपथ पत्र दिया जाएगा। यही शर्त अंगीभूत महाविद्यालयों पर भी लागू होगा।
7. भुगतान का दर प्रतिसेमेस्टर रूपये 1500/– (वार्षिक रूपये 3000) प्रतिछात्र होगा।
8. मात्र वैसे छात्र–छात्राओं के नामांकन के सापेक्ष मांग की जाएगी जो आज की तिथि में (currently) किसी न किसी सत्र में नामांकित हों यथा जो 2024–28 सत्र में प्रथम वर्ष में, 2023–27 सत्र एवं 2023–26 सत्र में द्वितीय वर्ष में एवं 2022–25 सत्र में तृतीय वर्ष में हों। स्नातकोत्तर स्तर पर वे 2024–26 सत्र में प्रथम वर्ष में या 2023–25 सत्र में द्वितीय वर्ष में नामांकित हों।

यह राशि विश्वविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालय को दी जाएगी।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा उक्त शर्तों के अधीन क्षतिपूर्ति हेतु राशि की मांग इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में की जाएगी। यह प्रपत्र बिना चूक 15 दिनों के अंदर पूरी तरह से भरकर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि क्षतिपूर्ति की राशि की सही रूप से गणना कर शीघ्र उपलब्ध कराई जा सके। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक होगा कि सूचना पूर्णता में नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में राशि उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा एवं इसकी जिम्मेवारी विश्वविद्यालय की होगी।

अनुलग्नक– प्रपत्र यथोक्त।

विश्वासभाजन

(बैद्यनाथ यादव)
सचिव

Acer E-office lett. after 29 05 2024

Scanned with OKEN Scanner

शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–1457 दिनांक–24.07.2015 के क्रम में क्षतिपूर्ति की राशि हेतु मांग–पत्र।

(अ)कादमिक सत्र–

(से)मेस्टर/वर्ष–

(क्र)मांक	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का प्रकार	अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्राओं की संख्या	अ0जा0/अ0ज0जा0 छात्रों की संख्या	अन्य सभी छात्राओं की संख्या	सेमेस्टर/वर्ष	कुल छात्र संख्या (3+4+5)	मांग की गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2								
3								
							कुल मांग की गयी राशि	

(म)हाविद्यालय का प्रकार –अंगीभूत/घाटानुदानित/संबद्ध(अनुदानित)/संबद्ध(वित्तरहित)}

1 प्रमाणित किया जाता है कि छात्रवार विवरणी से संबंधित अभिलेख/मांग–पत्र महाविद्यालयों से विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त कर अंकित किया गया है।

2 मात्र वैसे छात्र/छात्राओं को सम्मिलित किया गया है जो शिक्षा विभाग के ज्ञापांक–1457 दिनांक–24.07.2015 से आच्छादित है।

3 मात्र वैसे छात्र/छात्राओं को सम्मिलित किया गया है जो कम–से–कम 75% उपस्थिति के बाद उक्त सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए हैं। अभिलेखों का मिलान विश्वविद्यालय स्तर पर नामांकन से संबंधित अभिलेख तथा परीक्षा से सबंधित अभिलेख से भी कर लिया गया है।

4 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त छात्र/छात्राओं के लिए पूर्व में क्षतिपूर्ति की राशि की मांग नहीं की गई है।

5 प्रमाणित किया जाता है कि इस मांग–पत्र में वैसे छात्र/छात्राएं ही सम्मलित है जो आज कि तिथि में विश्वविद्यालय में नामांकित है।

6 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त मांग सेमेस्टरवार रूपये 1500/– प्रति छात्र/वर्षवार रूपये 3000/– प्रति छात्र के दर से की गयी है।

7 इसके अतिरिक्त कोई राशि संबंधित छात्र/छात्राओं से नहीं लिया जाएगा।

परीक्षा नियंत्रक हस्ताक्षर एवं नाम

कुलसचिव का हस्ताक्षर एवं नाम